(b) whether any inquiry into the reasons for the losses being suffered by NCCF has been made by Government; and

(c) if so, the result thereof and action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The National Cooperative Consumers' Federation of India Ltd., (NCCF) has reported that it has not suffered losses during the cooperative years 1980-81 and 1981-82 (ending 30th June) in over-all business. The Accounts for 1981-82 are still provsional and yet to be finalised.

(b) and (c) Do not arise.

राज्यों में भूख से हुई मौतें

2384. **श्री शिवचरण वर्मा :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और अन्य राज्यों में 1 अप्रैल, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक भूख से मरने वालों की संख्या राज्यवार कितनी है ;

(ख) सरकार विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं ग्रामीण लोगों को उनकी कमी दूर करने के लिये आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करके भुखमरी रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार सूखा और बाढ़ से पीड़ित राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्यों से खाद्यान्न का कोई निर्यात नहीं करना चाहती है, और यदि हां, तो उन खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक राज्य के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा सरकारों ने सूचना दी है कि उनके राज्य में भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है । राजस्थान से जानकारी प्राप्त होनी है ।

(ख) समय-समय पर और अधिक उचित दर की दुकान खोलकर राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक जिन्सों की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है ।

(2) ऐसे निदेश जारी किये गये हैं कि चोर बाजारी करने वालों, लाभ कमाने वालों और जमा खोरों तथा ऐसे सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरन्त और सख्त कार्यवाही की जाए., जो कमी की स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ।

(3) केन्द्रीय सहायता से किये जाने वाले राहत कार्य के लिये प्रति मानव दिन 1 कि० ग्राम की दर से आंशिक मजदूरी का भुगतान करने के लिये सूखे से प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है ।

(4) स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं जैसे समाज के अति संबंध-शील वर्ग के लिये निशुल्क राहत, विशेष पोषण

कार्यक्रम के लिये भी केन्द्रीय सहायता मजूंर की गई है।

(5) राहत देने के लिये किसी भी आपात व्यय को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों के पास सीमान्त धन राशि सुलभ है।

(6) विभिन्न राज्यों के पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन राशि और खाद्यान्न उपलब्ध है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के व्यापार और संचलन के उद्देश्य से पूरा देश एक क्षेत्र समझा जाता है। तथापि राज्यों को धान के अन्तः राज्य संचलन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया गया है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य का चावल या गेहूं भेजने की आवश्यकता होती है, तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है।

जहां तक देश से बाहर निर्यात करने का सम्बन्ध है, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबन्ध हैं। इस समय केवल बासमति चावल ही खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता है। गैर-बासमति चावल की अनुमति केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी जाती है। जो और मक्का का निर्यात एक सीमित मात्रा में भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

Exploitation of Economic Zones

2385. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the proposal for the proper exploration of the economic zones of the country is under the consideration of the Government;

(b) if so, the steps proposed to be taken to exploit the economic zones;

(c) the schemes prepared for implementing in the Sixth Plan period; and

(d) the programmes proposed to be undertaken in 1983-84?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH): (a) Yes, Sir. Under the Territorial Water, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, the Exclusive Economic Zone of India is an area beyond and adjacent to the territorial waters and the limit of such zone is 200 nautical miles from the base line. Proper exploitation of these zones comprise exploitation of living and non-living resources as well as producing energy.

(b) to (d) Various measures to exploit the marine fisheries resources are being taken by the States and Union Territories by grant of assistance to both mechanised and non-mechanised scetors. The Central Government under their Plan have the following important schemes for exploiting marine fishery resources;

(i) Augmentation of deep sea fishing fleet through a judicious mixture of indigenous, imported and chartered fishing vessels;

(ii) Providing 33 per cent subsidy on the cost of indigenously constructed vessels;

(iii) Providing loans on soft terms for purchase of fishing vessels;

(iv) Augmentation of fisheries survey;

(v) Augmentation of training facilities;

(vi) Assistance for construction of fishing harbours at major and minor ports and landing and berthing facilities at smaller fishing centres; and

(vii) Regulation of fishing by foreign vessels in the Exclusive Economic Zone. For this purpose "The Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by For-